

28-8-19

पत्रावली पेस हुई। पत्रावली में 'वादी' एवं 'वादी' आदि वक्ता अक्षरों पर है।

पत्रावली में 'वादी' एवं 'वादी' आदि वक्ता को तीन-तीन बार आवाज लगवा दी

गई। फिर भी उपरिपत्र नहीं दुर्क।

पत्रावली आदेश 9 विषय 3 के तहत

अक्षर हाजरी, अक्षर पैरली में शामिल


जिन खारीज विद्या जाता है, निर्दिष्ट

सुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली के सार सुमाह ही दर्ज

नाम्बर से कम होकर हासिल दफ्तर

है।


उपसंहार अधिकारी
खरवाडा जि. उदयपुर